

## वश्व व्यापार संगठन में सुधार

[वश्व व्यापार संगठन \(World Trade Organization- WTO\)](#) का 12वाँ मंत्रसितरीय सम्मेलन 30 नवंबर से 3 दसिंबर तक जनिवा में संपन्न हुआ। वश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु नयिम बनाने का प्रमुख मंच है। पछिले ढाई दशकों से इसने वस्तुओं और सेवाओं दोनों में व्यापार में आने वाली बाधाओं को कम करने में मदद की है और एक वविाद समाधान प्रणाली बनाई है, जिससे व्यापार युद्ध यानी ट्रेड वार कम हुआ है।

- हालाँकि कुछ असहमतियों के कारण व्यापक विकास एजेंडा पर बातचीत के साथ वश्व व्यापार संगठन पर सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिये काफी दबाव है। कृषि पर बनी समिति को अभी तक सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के मुद्दे का समाधान नहीं मिला है। भारत ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग पर विकासशील तथा अल्पविकसित देशों के बीच एक भेद पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है और एक ऐसे मुद्दे पर स्थायी समाधान की मांग की है जो भारतीय खाद्य नगिम जैसी एजेंसियों द्वारा खरीद के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भी कहा है कि विकसित देशों द्वारा वश्व व्यापार संगठन के सुधारों को गरीब और विकासशील देशों को प्रदान किये जा रहे वशिष एवं वभिदक उपचार से जोड़ना अनुचित है और व्यापार नकिया को अपने मामलों का संचालन करने के तरीके का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

## वश्व व्यापार संगठन द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएँ

- वविाद नपिटान के मामले फलिहाल दरज किये जा रहे हैं और उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है।
- 21वीं सदी में वश्व व्यापार संगठन की रणनीतिक प्रासंगिकता के लिये प्रमुख चुनौतियों का सामना करने हेतु तकनीकी कार्यप्रणाली अभी पूरी तरह से अपर्याप्त है। महत्त्वपूर्ण मसलों पर WTO ने न तो प्रतिक्रिया दी है और न ही तकनीकी प्रणाली में कोई अनुकूलन किया है।
- वर्तमान में वश्व व्यापार संगठन की संरचना और कार्यात्मक वभिग दोनों ही कमजोर नज़र आ रहे हैं।
- वाणिज्यिक गतिविधियों में संलग्न राज्य अप्रत्यक्ष रूप से WTO के कार्यों में बाधा पहुँचा रहे हैं एवं नजि क्षेत्र के ऑपरेटर अंतरराष्ट्रीय व्यापार मुख्य रूप से एक बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था में आपूर्ति और मांग आधारित कीमत पर करना चाहते हैं।
- वश्व व्यापार संगठन के कई सदस्य घरेलू सब्सिडी का गलत तरीके से प्रयोग करते हैं। कृषि और औद्योगिक सब्सिडी ने इसकी प्रणाली में रुकावटें पैदा की हैं और वश्व व्यापार संगठन के कई सदस्यों में संरक्षणवादी प्रतिक्रियाओं को प्रेरित किया है।
- वश्व व्यापार संगठन वविाद नपिटान प्रणाली के अपीलीय नकिया चरण में रुकावट और गतरिोध ने वर्तमान संकट को जन्म दिया।
- वश्व व्यापार संगठन ने एक ओर हानिकारक संरक्षणवाद का मुकाबला करने के लिये आर्थिक सुधार का समर्थन करने और उचित तरीके से व्यापार हेतु बाध्य करने के लिये स्थापित संस्था के रूप में बनाए हुए महत्त्वपूर्ण संतुलन को खो दिया तथा दूसरी ओर मुकदमेबाज़ी-आधारित वविाद नपिटान के लिये एक संस्था के रूप में भी इसकी प्रासंगिकता काम हुई है।
- वर्षों से व्यापार वविाद के नपिटारे के लिये बहुपक्षीय प्रणाली गहन जाँच और नरितर आलोचना के अधीन रही है। अमेरिका ने नए अपीलीय नकिया के सदस्यों ("न्यायाधीशों") की नियुक्ति को व्यवस्थित रूप से अवरुद्ध कर दिया है और वास्तव में वश्व व्यापार संगठन के अपीलीय तंत्र के काम में बाधा डाली है।

## पृष्ठभूमि:

- WTO को वर्ष 1947 में संपन्न हुए प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते (General Agreement on Tariffs and Trade- GATT) के स्थान पर अपनाया गया।
- WTO के निर्माण की पृष्ठभूमि गेट के उरुग्वे दौर (वर्ष 1986-94) की वार्ता में तैयार हुई तथा 1 जनवरी, 1995 को WTO द्वारा कार्य शुरू किया गया।
- जिस समझौते के तहत WTO की स्थापना की गई उसे "मारकेश समझौते" के रूप में जाना जाता है। इसके लिये वर्ष 1994 में मोरक्को के मारकेश में हस्ताक्षर किये गए।

## WTO के बारे में:

- WTO एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नयिमों को वनियमिति करता है।
- GATT और WTO में मुख्य अंतर यह है कि GATT जहाँ ज़्यादातर वस्तुओं के व्यापार को वनियमिति करता था, वहीं WTO और इसके समझौतों में

न केवल वस्तुओं को बल्कि सेवाओं और अन्य बौद्धिक संपदाओं जैसे- व्यापार चिन्हों, डज़ाइनों व आविष्कारों से संबंधित व्यापार को भी शामिल किया जाता है।

- WTO का मुख्यालय स्वटिज़रलैंड के जनिवा में स्थित है।
- भारत वर्ष 1947 में GATT तथा WTO का संस्थापक सदस्य देश बना।

## मंत्रसित्रीय सम्मेलन:

- WTO की संरचना में मंत्रसित्रीय सम्मेलन सर्वोच्च प्राधिकरण है जिसका गठन WTO के सभी सदस्यों देशों से मलिकर होता है, इसके सभी सदस्यों को कम-से-कम हर दो वर्ष में मलिना आवश्यक है। मंत्रसित्रीय सम्मेलन के सदस्य बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के तहत सभी मामलों पर नरिणय लेने में सक्षम होते हैं।

## सामान्य परषिद:

- इसका गठन WTO के सभी सदस्य देशों से मलिकर होता है जो मंत्रसित्रीय सम्मेलन के प्रता उत्तरदायी है।
- वविद समाधान नकियाय और व्यापार नीता समीकषा नकियाय:
- सामान्य परषिद का आयोजन मुख्यतः दो वषियों को ध्यान में रखकर कया गया है:
  - **वविद समाधान नकियाय:** इसके माध्यम से वविदों के समाधान हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का संचालन कया जाता है।
  - **व्यापार नीता समीकषा नकियाय:** इसके द्वारा WTO के प्रत्येक सदस्य की व्यापार नीतियों की नयिमति समीकषा की जाती है।

## आवश्यक कदम

- वशिव व्यापार संगठन बाज़ार बनाम राज्य के परस्पर वरिधी आर्थिक मॉडल को समायोजति नहीं कर सकता है। वशिव व्यापार संगठन के सभी सदस्यों को बाज़ार अर्थव्यवस्था, नज़ी कषेत्र और प्रतसिप्रर्द्धा द्वारा संचालति नयिम-आधारति आदेश की प्रचालन धारणा को स्वीकार करना होगा।
- यह समझते हुए कखिादय सुरक्षा संबंधी चतिाएँ बनिा बातचीत के हाल नहीं हो सकती, कृषि सव्सडि और बाज़ार पहुँच के अंतरसंबंधति मुद्दों को संबोधति करने के लयि बातचीत शुरु होनी चाहयि।
- एक वशिवसनीय व्यापार प्रणाली के लयि एक वविद नपिटान प्रणाली की आवश्यकता होती है जो सभी द्वारा स्वीकृत होना चाहयि।
- व्यापार संतुलन को बहाल करने के लयि बातचीत की गंभीरता से कोशशि शुरु करनी चाहयि और इसमें सभी पक्षों को शामिल करना चाहयि।
- कई कषेत्रों में गैट/डब्ल्यूटीओ के नयिम पुराने हैं। बाज़ार और तकनीक में बदलाव के साथ तालमेल बठाने के लयि नए नयिमों की जरूरत है। व्यापार-वकृत औद्योगिक सव्सडि से लेकर डजिटिल व्यापार तक के वषियों पर नयिमों को बनाना व बदलना आवश्यक है।
- हालाँकि मत्स्य पालन सव्सडि पर चर्चा लंबे समय से अटकी हुई है, लेकिन इन सव्सडि पर लगाम लगाने के लयि समझौते पर जल्द नषिकर्ष पर काफ़ी जोर दया जा रहा है।
- हालाँकि इस मुद्दे पर मौजूदा मसौदा पूरी तरह से असंतुलति है क्योंकि वे बड़े पैमाने पर वाणजियकि मछली पकड़ने पर लगाम लगाने के उपाय प्रदान नहीं करते हैं जो दुनया भर में मछली के स्टॉक को कम कर रहे हैं और साथ ही छोटे मछुआरों की आजीविका को खतरे में डाल रहे हैं, जैसे-भारत।
- हाल के महीनों में आर्थिक सहयोग और वकिस संगठन के सदस्यों और जी -20 सदस्यों द्वारा डजिटिल कंपनयिों पर वैश्वकि न्यूनतम करों को लागू करने के प्रस्ताव ने सुखयिँ बटोरी।
- लेकिन वशिव व्यापार संगठन में इनमें से अधकिांश देश ई-कॉमर्स फर्मों के वसितार के लयि पूंजी का नविश कर रहे हैं। वैश्वकि इलेक्ट्रॉनकि वाणजिय पर मंत्रसित्रीय घोषणा को अपनाने के बाद वर्ष 1998 से वशिव व्यापार संगठन में ई-कॉमर्स पर चर्चा हो रही है, जसिमें वशिव व्यापार संगठन के सदस्य "इलेक्ट्रॉनकि प्रसारण पर सीमा शुल्क नहीं लगाने के अपने अभ्यास को जारी रखने" के लयि सहमत हुए।

## नषिकर्ष:

इसके जवाब में वशिव व्यापार संगठन कह सकता है कि मुक्त व्यापार एशिया के वकिसशील देशों के वकिस का एक महत्वपूर्ण इंजन रहा है। हालाँकि कुछ अल्पकालकि समस्याएँ हो सकती हैं कति इससे दीर्घकालकि फायदे ही हुए हैं। इसके अलावा वशिव व्यापार संगठन को वकिसशील देशों के लयि छूट देने की मांग को आगे बढ़ाना चाहयि साथ ही सैद्धांतकि रूप से वकिसशील देशों को वकिसति देशों की तुलना में आयात को सीमति करने की अनुमति दी जानी चाहयि।